युवा जोश बैमन
ग्राम बैमन, तहसील किरावली, जिला आगरा, उत्तर प्रदेश – 283122
yuva-josh-baiman.online

कोटेशन नं.: **YJB/CCTV/2026/01**
तारीख़: 07 अक्टूबर 2026

📹 गाँव में CCTV कैमरा लगाने का प्रस्ताव और कोटेशन

गाँव की सुरक्षा, सबकी ज़िम्मेदारी

सेवा में:
समस्त ग्रामवासी, ग्राम बैमन
एवं ग्राम पंचायत बमन

प्रस्तुतकर्ता:
युवा जोश बैमन
(गाँव के युवाओं का जन सेवा समूह)

1. प्रस्ताव का उद्देश्य

गाँव के बहुत से लोगों ने सुझाव दिया है कि गाँव की सुरक्षा के लिए प्रमुख जगहों पर CCTV कैमरे लगाए जाने चाहिए। इसी को ध्यान में रखते हुए युवा जोश बैमन यह प्रस्ताव रख रहा है कि गाँव में लगभग **20 CCTV कैमरे** लगाए जाएँ, और यह काम **सभी घरों के मिले-जुले सहयोग** से पूरा किया जाए।

2. गाँव के लिए CCTV क्यों ज़रूरी है?

- **चोरी पर रोक:** कैमरे लगे होने से चोर और बदमाश गाँव में घुसने से पहले सौ बार सोचेंगे। पशु, मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर के सामान और घरों की चोरी में कमी आएगी।
- **घटना की जाँच में मदद:** किसी भी घटना के बाद रिकॉर्डिंग से सच्चाई सामने आती है और पुलिस को सबूत मिलता है।
- **महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा:** स्कूल आने-जाने वाले बच्चों और महिलाओं के लिए रास्ते ज़्यादा सुरक्षित होंगे। छेड़छाड़ जैसी घटनाओं पर रोक लगेगी।
- **असामाजिक गतिविधियों पर नज़र:** रात में नशा, जुआ या झगड़े जैसी गतिविधियों पर लगाम लगेगी।
- **सड़क दुर्घटना और विवाद:** दुर्घटना या आपसी विवाद होने पर रिकॉर्डिंग से सही-गलत का फ़ैसला आसान होगा।
- **बाहरी लोगों की पहचान:** गाँव में आने-जाने वाले अनजान लोगों और वाहनों का रिकॉर्ड रहेगा।
- **मंदिर और सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा:** चामड़ मैया मंदिर, स्कूल, पंचायत भवन, हैंडपंप, स्ट्रीट लाइट जैसी सार्वजनिक चीज़ों की तोड़-फोड़ और चोरी रुकेगी।
- **मन की शांति:** परिवार चैन से सो सकेंगे और बाहर रहने वाले लोग भी अपने घर की चिंता कम करेंगे।

3. मुख्य फ़ायदे एक नज़र में

🛡️ 24 घंटे निगरानी
दिन-रात, बिना छुट्टी के गाँव पर नज़र।

🌙 नाइट विज़न
रात के अँधेरे में भी साफ़ रिकॉर्डिंग।

📼 रिकॉर्डिंग सुरक्षित
हार्ड डिस्क में कई दिनों की रिकॉर्डिंग रहेगी।

👮 पुलिस को सबूत
FIR और जाँच में फ़ुटेज बहुत काम आती है।

💰 कम खर्च, बड़ा फ़ायदा
एक घर पर लगभग ₹600 — एक बार का योगदान।

🤝 सबकी भागीदारी
पूरा गाँव मिलकर अपनी सुरक्षा ख़ुद करेगा।

4. कैमरे कहाँ लगेंगे? (प्रस्तावित जगहें)

सही जगहें ग्राम सभा / बैठक में सबकी सलाह से तय की जाएँगी। सुझाव:

- गाँव के मुख्य प्रवेश और निकास रास्ते
- मुख्य चौराहे और बाज़ार
- चामड़ मैया मंदिर और अन्य धार्मिक स्थल
- स्कूल और आँगनवाड़ी के पास
- पंचायत भवन
- बस स्टॉप / मुख्य सड़क
- तालाब और खेतों की ओर जाने वाले रास्ते
- मुख्य गलियाँ जहाँ ज़्यादा आवाजाही है

5. खर्च का विवरण (कोटेशन)

क्र.	सामान / काम	इकाई	मात्रा	दर	राशि
1	CCTV कैमरा (आउटडोर, नाइट विज़न, वाटरप्रूफ़)	नग	20	₹2,800	**₹56,000**
2	16-चैनल DVR / NVR (रिकॉर्डिंग मशीन)*	नग	2	₹6,500	**₹13,000**
3	हार्ड डिस्क 2 TB (सर्विलांस, रिकॉर्डिंग स्टोरेज)*	नग	2	₹5,000	**₹10,000**
4	कैमरा केबल (3+1 कॉपर)*	मीटर	1,000	₹12	**₹12,000**
5	पावर सप्लाई (SMPS)*	नग	2	₹1,500	**₹3,000**
6	कनेक्टर, पाइप, क्लैंप, वेदरप्रूफ़ बॉक्स*	एकमुश्त	1	₹5,000	**₹5,000**
7	बैकअप (UPS / बैटरी) — बिजली जाने पर रिकॉर्डिंग*	नग	1	₹6,000	**₹6,000**
8	मॉनिटर / स्क्रीन (लाइव देखने के लिए)*	नग	1	₹4,500	**₹4,500**
9	लगाने का खर्च (इंस्टॉलेशन लेबर)*	प्रति कैमरा	20	₹300	**₹6,000**
	कुल अनुमानित खर्च				**₹1,15,500**

कुल राशि (शब्दों में): एक लाख पंद्रह हज़ार पाँच सौ रुपये मात्र

* कैमरे की दर (₹2,800 प्रति कैमरा) तय की गई है। बाकी सामान की दरें बाज़ार के हिसाब से **अनुमानित** हैं — अंतिम दर दुकानदार / इंस्टॉलर से लिखित कोटेशन लेकर तय होगी। केबल की लंबाई कैमरों की जगह तय होने के बाद घट-बढ़ सकती है।

20
CCTV कैमरे

₹56,000
सिर्फ़ कैमरों का खर्च
(20 × ₹2,800)

₹1,15,500
पूरा सिस्टम
(कैमरा + रिकॉर्डिंग + लगाना)

6. घरों से योगदान (लगभग 200 घर)

विवरण	राशि
कुल अनुमानित खर्च	**₹1,15,500**
कुल घर (लगभग)	**200**
प्रति घर हिस्सा (₹1,15,500 ÷ 200)	**₹577.50**
सुझाया गया योगदान प्रति घर (गोल राशि)	**₹600**
कुल जमा होगा (₹600 × 200)	**₹1,20,000**
बची राशि — मरम्मत / रख-रखाव कोष में जमा	**₹4,500**

🙏 **सहयोग के तरीके:**

- हर घर से **₹600 का एक बार का योगदान** — चाहें तो दो किश्तों में (₹300 + ₹300)।
- जो परिवार ज़्यादा सहयोग करना चाहें, वे अपनी इच्छा से ज़्यादा राशि दे सकते हैं।
- ज़रूरतमंद परिवारों की मदद बाकी गाँव मिलकर करेगा — किसी पर दबाव नहीं होगा।
- ग्राम पंचायत और गाँव के बाहर रहने वाले लोगों से भी सहयोग की अपील की जाएगी।

7. पूरी पारदर्शिता का वादा

- हर घर से मिले योगदान की **रसीद** दी जाएगी और नाम सूची में दर्ज होगा।
- सारा हिसाब — कितना आया, कितना खर्च हुआ — **युवा जोश बैमन की वेबसाइट** पर बिल और फ़ोटो के साथ डाला जाएगा।
- सामान खरीदने के **बिल** सबके सामने रखे जाएँगे।
- कैमरे लगने के बाद उनकी देखरेख और रिकॉर्डिंग की ज़िम्मेदारी तय समिति / पंचायत की होगी।
- हर साल रख-रखाव (मरम्मत, बिजली) का हिसाब भी सबको बताया जाएगा।

8. ज़रूरी शर्तें

- यह कोटेशन जारी होने की तारीख़ से **30 दिन** तक मान्य है; उसके बाद बाज़ार दर बदल सकती है।
- कैमरे लगाने के लिए बिजली का कनेक्शन और सुरक्षित जगह की व्यवस्था गाँव / पंचायत की सहमति से होगी।
- किसी के निजी घर के अंदर कैमरा नहीं लगेगा — सिर्फ़ सार्वजनिक जगहों पर।
- रिकॉर्डिंग सिर्फ़ ज़रूरत पड़ने पर, समिति की अनुमति से ही देखी जाएगी।

युवा जोश बैमन (प्रतिनिधि)	ग्राम प्रधान ग्राम पंचायत बमन	ग्रामवासी प्रतिनिधि

गाँव का विकास, सबका विकास 💚